संख्या-6/2017/676/71-आयुष-2-2017-11(बी)/2016

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 में होम्योपैथी विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस/2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके पत्रांक- नि0हो0/1073-बी/82/16-17/3944, दिनॉक 6-4-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-34 के लेखाशीर्षक-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-102-होम्योपैथी-05 अन्य व्यय (सहायक अनुदान) 0506-होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड के अनुरक्षण के लिए अनुदान में प्राविधानित धनराशि रू0 200000/- (रू0 दो लाख मात्र) में से रू0 100000/- (रू0 एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सेख्या-15/2016/796/71-आयुष-2-2016-11(बी0)/2016 दिनॉक 20 अप्रैल, 2016 के साथ संलग्नक-5 में निर्गत की गयी थी। उक्त कुल प्राविधानित रू0 200000/-(रू0 दो लाख मात्र) में से अवशेष रू0 100000 (रू0 एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

संख्या-6/2017/676(1)/71-आयुष-2-2017 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी दवितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा प्रथम दवितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, होम्योपैथिक निदेशालय।
6- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग1/2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।